

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर

1. अपील संख्या – 1020 / 2015 / टोंक.

मैसर्स लोकेश रूफिंग्स, गुलजार बाग रोड़, टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1021 / 2015 / टोंक.

मैसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, देवली (टोंक).

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1022 / 2015 / टोंक.

मैसर्स एस. एस. एन्टरप्राइजेज, अलीगढ़ (टोंक).

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. खदाव,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 06 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपरोक्त तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 99, 07 व 82 / 13-14 / वैट / टोंक में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 16.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2011-12 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए वैट नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/- (प्रत्येक प्रकरण में) की पुष्टि की है।

2. इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त तीनों ही प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा समय पर ऑनलाईन रूप से रिटर्न प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं हार्डकॉपी भी प्रस्तुत कर दी गयी थी परन्तु विभाग में हार्डकॉपी की रसीद नहीं देने की प्रथा के कारण वे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके एवं इस सम्बन्ध में शपथपत्र भी पेश कर दिये गये थे।

5. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि तीनों प्रकरणों में वर्ष 2011-12 के प्रथम तिमाही के विवरण-पत्र ओनलाईन दिनांक 3.8.2011, 27.8.2011 को प्रस्तुत कर दिये थे तथा विवरण-पत्र पेश करने की अवधि 30.04.2013 तक बढ़ाई हुई थी जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने भी विवादित नहीं किया है कि विवरण-पत्र समय पूर्व ही ओनलाईन प्रस्तुत थे बल्कि केवल हार्डकॉपी नहीं देने का आक्षेप कर वे विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं होना मानते हुए विलम्ब शुल्क आरोपित किया है जबकि विवरण-पत्र पेश नहीं करने के आरोप पर विलम्ब शुल्क का आरोपण ही नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में कर बोर्ड की एकलपीठ का निर्णय एवं वृहदपीठ का निर्णय दिनांक 07.03.2018 की नजीर पेश की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारियों की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारियों की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया।

8. उक्त तीनों प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही का विवरण-पत्र ओनलाईन प्रस्तुत कर दिया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है एवं वे पत्रावली पर उपलब्ध है तथा कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत विवरण-पत्रों पर ही आदेश पारित किये हैं। इन प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश में यह अंकित किया गया है कि हार्डकॉपी प्रस्तुत नहीं होने से कर निर्धारण की दिनांक तक विवरण-पत्र अप्रस्तुत मानते हुए वैट नियम 2006 के नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है। स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने नियम 19(2) के प्रावधान अनुसार हार्डकॉपी पेश नहीं होने पर इसे Non-filing of Return का अपराध मानते हुए विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। स्पष्ट है कि व्यवहारियों के रिटर्न ओनलाईन प्रस्तुत हो चुके थे परन्तु उन विवरण-पत्रों की हार्डकॉपी कार्यालय में पेश नहीं होने से Non-filing of return माना है।




9. प्रकरण में Non-filing of return के अपराध में जो विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है उस पर विचार किया गया। बहस के दौरान इसी बिन्दु पर कर बोर्ड की एकलपीठ एवं उसी बिन्दु पर कर बोर्ड की वृहदपीठ के निर्णय की प्रस्तुत प्रतियों का अवलोकन किया गया। एकलपीठ के अपील संख्या 2109/2014/बाड़मेर मैसर्स खेतमल एण्ड कम्पनी, धोरीमन्ना, बाड़मेर बनाम उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 एवं वृहदपीठ के इसी बिन्दु पर अपील संख्या 1063/2015/टॉक निर्णय दिनांक 07.03.2018 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Late filing of return के प्रकरण में नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण वांछनीय है जबकि जहां Return प्रस्तुत ही नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में विलम्ब शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि दिनांक 31.07.2014 से पूर्व केवल धारा 64 के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती है।


10. कर बोर्ड की एकलपीठ के अपील संख्या 2109/14/बाड़मेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 की पुष्टि करते हुए माननीय कर बोर्ड की वृहदपीठ (Larger Bench) द्वारा अपील संख्या 1063/2015/टॉक निर्णय दिनांक 07.03.2018 में निम्न निर्णय दिया गया है :-

“In light of the legal position as described above the reference to the Larger Bench is answered as follows:

1. For assessment year 2011-12 onwards the late fee is payable for late filing of returns only and in case the late fee has not been deposited by the dealers the assessing authority while finalizing the assessment, are competent to calculate and levy the late fee. As the 'fee' is not in the category of penalty therefore, no notice is required to be issued prior to levy of late fee.
2. In case of non-filing of returns between the period 15.04.2011 and 31.07.2014, since no specific provision existed for levy of late fees for non-filers, the late fee is not leviable. As the section 58 was deleted on 15.04.2011 and sub section (4) of section 24 was substituted on 31.07.2014 for levy of penalty for non-filing of returns, therefore, in such cases, the only recourse available to the assessing authorities was to levy penalty u/s 64 of the Act, categorized as "penalty for other violations".

 लगातार.....4

3. In case the return has been filed electronically and its acknowledgement is not submitted at all, it shall be deemed to be a case of non-filing of return and in such cases the penalty u/s 64 would be leviable.
4. Looking into the provisions of rule 19(2) w.e.f. 14.07.2014, the date of submission of return shall be deemed to be the date on which the signed copy of the acknowledgment is submitted, and the late fee shall be calculated till such date.
26. In light of the above mentioned findings, it is held that:
- (i)
- (ii)
- (iii) The third judgment of the SB dated 22.02.2017 in appeal no. 2109/2014/Barmer and other connected matters, though not part of the reference but highlighted by the learned advocate for the appellants as well as the learned DGA Shri Anil Pokharna, has also laid down the law correctly.
11. फलतः उक्त प्रकरणों में Non-filing of return में विलम्ब शुल्क का आरोपण उक्त निर्णय के आलोक में अविधिक होने से अपास्त किया जाता है।
12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण की तीनों अपीलों स्वीकार की जाकर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क अपास्त किया जाता है।
13. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य